158

AHP /01

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग, जयपुर

क्रमांक प0 2(18)नविवि/5/09 जयपुर, दिनांक :- 3.2.2010

आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल/जयपुर व जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं द्वारा निर्मित मकान/भूखण्ड आवंटित किये जाने वालों का ब्यौरा एवं जारी दिशा निर्देश

हाल ही में नगरीय विकास विभाग राज्य सरकार द्वारा 23 दिसम्बर 2009 को Affordable Housing Policy-2009 जारी की गई है। इस नीति के अन्तर्गत राजस्थान में आवास समस्या के समाधान हेतु राजस्थान आवासन मण्डल, नगर विकास न्यास, नगर निगम व नगर पालिकाओं को निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं :-

(अ) राजस्थान आवासन मण्डल :-

1. राजस्थान आवासन मण्डल विभिन्न योजनाओं में कम से कम 50 प्रतिशत मकान/फ्लेट्स/विकसित भूखण्ड आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के तबके के नागरिकों के लिए ही बनाएगा।
2. बिन्दू संख्या 1 के अलावा 20 प्रतिशत मकान/फ्लेट्स/भूखण्ड मध्यम आय वर्ग 'अ' के तबके के नागरिकों के लिए ही बनाएगा।
3. उपरोक्त तबके के नागरिकों को विकसित भूमि की दर भी cross subsidize करनी होगी ताकि मकानों/फ्लेट्स की कीमत वाजिब हो।

(ब) जयपुर एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण, विभिन्न नगर विकास न्यास, नगर निगम एवं नगर पालिकाऐं :-

1. जयपुर एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण, समस्त नगर विकास न्यास, नगर निगम एवं नगर पालिकाऐं अपनी योजनाओं में कम से कम 25 प्रतिशत मकान/फ्लेट्स/विकसित भूखण्ड आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के तबके के नागरिकों के लिए ही बनाएगा।
2. बिन्दू संख्या 1 के अलावा 20 प्रतिशत मकान/फ्लेट्स/भूखण्ड मध्यम आय वर्ग 'अ' के तबके के नागरिकों के लिए ही बनाएगा।
3. उपरोक्त तबके के नागरिकों को विकसित भूमि की दर भी cross subsidize करनी होगी ताकि मकानों/फ्लेट्स की कीमत वाजिब हो।

आय की सीमा का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा :-

1. आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग--रूपये 3300 प्रतिमाह तक
2. अल्प आय वर्ग 3301 से 7500 रूपये प्रतिमाह
3. मध्यम आय वर्ग 7501 से 10,000 रूपये प्रतिमाह

(पुरूषोत्तम बियाणी)
उप शासन सचिव
राजस्थान सरकार, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. जोधपुर विकास आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5. सचिव, नगर विकास न्यास ....
6. निजी सहायक, निदेश, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका...........।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
उप शासन सचिव
राजस्थान सरकार, जयपुर